असंशोधित

बिहार विधान-सभा वादवृत्त

सरकारी प्रतिवेदन

26 जुलाई, 2018

षोडश विधान-सभा 26 जुलाई, 2018 ई0

---------- वृहस्पतिवार,तिथि ----------

दशम् सत्र 04 श्रावण, 1940(शक)

(कार्यवाही प्रारम्भ होने का समय - 11.00 बजे पूर्वाह्न)

(इस अवसर पर माननीय अध्यक्ष महोदय ने आसन ग्रहण किया)

अध्यक्ष: सभा की कार्यवाही प्रारम्भ की जाती है।

प्रश्नोत्तर काल । अल्पसूचित प्रश्न लिये जायेंगे।

श्री भाई वीरेन्द्र: अध्यक्ष महोदय, सरकार सी0बी0आई0 जांच करा रही है । यह अच्छी बात है लेकिन हमलोगों ने मांग की थी कि हाईकोर्ट की मोनिटरिंग में यह जांच होनी चाहिए । महोदय, बिहार सरकार के एक मंत्री के पति का नाम आया है, मूंछ वाला और पेट वाला का भी नाम आया है । बिहार की जनता जानना चाहती है कि वह पेट वाला नेता कौन हैं, मूंछ वाले नेताजी कौन हैं, अंकल जी कौन हैं ?

अध्यक्ष: वह सब सी0बी0आई0 जांच में आ जायेगा ।

श्री भाई वीरेन्द्र: बिना हाईकोर्ट के कुछ नहीं होगा हुजूर । हाईकोर्ट की मोनिटरिंग के बिना जांच में कुछ नहीं हो पायेगा ।

(व्यवधान)

अध्यक्ष: माननीय सदस्य सदानंद बाबू खड़े हैं । क्या कह रहे हैं सदानंद बाबू? आपलोग बैठ जाईए न ।

(व्यवधान)

श्री सदानन्द सिंह: अध्यक्ष महोदय, कल हमलोग नेता प्रतिपक्ष के साथ, पूर्व मुख्यमंत्री जीतन राम मांझी जी के साथ और हमारे नेता सी0पी0एम0 के और हमलोग सब गये थे वहां, जो बातें खुलकर आ रही थी, बड़ी शर्मनाक थी । लोग कह रहे थे कि वहां आम चर्चा है, बच्चियां कहती थीं कि वहां पेट वाला और मूंछ वाला...

श्री श्रवण कुमार,मंत्री: अध्यक्ष महोदय, मामला जब सी0बी0आई0 को चला गया है तो सदन में बहस की जरूरत है क्या ? अब कोई प्रमाण की जरूरत है, अगर माननीय सदस्य के पास अगर कोई प्रमाण है, किसी पर आरोप है और वह बच रहा है तो वे सी0बी0आई0 को दें । यह हाउस का विषय नहीं है महोदय । ये बहस का विषय नहीं है । इस तरह से सदन नहीं चलता है कि जब चाहें.....

(व्यवधान)

अध्यक्ष: ये आपने भी कहा कि जो मांग थी, सरकार ने सी0बी0आई0 को इसकी जांच दे दी है । आपने इसको अच्छा कहा और सुन लीजिये, पूरी बात को सुन लीजिये । दूसरा, आपने कहा है कि हाईकोर्ट से इसकी मोनिटरिंग हो तो यह तो सरकार के हाथ में नहीं

है । जो समाचार पत्रों के माध्यम से ज्ञात हुआ है आसन को कि हाईकोर्ट में भी आज इस मामले पर सुनवाई होनी है । हाईकोर्ट का जैसा निर्देश होगा सरकार उससे थोड़े ही अलग होगी .....

(व्यवधान)

वह भी सुन लीजिये न । वीरेन्द्र जी दोनों बात कैसे होगी कि सी0बी0आई0 जांच भी करे और कार्रवाई भी पहले कर दीजिये । जांच हो जाने दीजिये, सी0बी0आई0 अगर मानेगी तो सरकार देखेगी ।

(व्यवधान)

अध्यक्ष: अब प्रश्नोत्तर चलने दीजिये न ? ललित जी आप ही का प्रश्न है ।

(व्यवधान)

अध्यक्ष: आपका ध्यानाकर्षण है।

(व्यवधान)

श्री सदानन्द प्रसाद: अध्यक्ष महोदय...

श्री श्रवण कुमार,मंत्री: अध्यक्ष महोदय, हमने आसन से पहले भी आग्रह किया था कि यह सदन में डिबेट का विषय नहीं है । सदन में सरकार का जवाब हो चुका है । बिहार की सरकार ने सी0बी0आई0 जांच की सिफारिश कर दी है । इस विषय पर सदन में अब कोई चर्चा नहीं होनी चाहिए और अगर किसी माननीय सदस्य के पास कोई प्रमाण है, प्रूफ है तो उसको वह सी0बी0आई0 को सुपुर्द करे । महोदय, ये सदन में डिबेट का विषय थोड़े ही है ।

(व्यवधान)

(इस अवसर पर विपक्ष के माननीय सदस्यगण वेल में आ गये)

अध्यक्ष: माननीय सदस्य सुदामा जी, आप तो फरही रखते थे, आप यह पोस्टर कहां से लेकर चलते हैं ?

(व्यवधान)

श्री श्रवण कुमार,मंत्री: अध्यक्ष महोदय, विपक्ष के द्वारा लाया गया अल्पसूचित प्रश्न बहुत महत्वपूर्ण है और विपक्ष का आरोप होता है कि सरकार जवाब नहीं देती है । महोदय, सरकार तो जवाब देने के लिए तैयार है और विपक्ष को पूछने का भी समय नहीं है । उनको साहस नहीं है कि अपने प्रश्न को पूछ सकें । मैं आपके माध्यम से इनसे आग्रह करना चाहता हूं कि माननीय सदस्य कम से कम अपनी जगह पर जायें और कम से कम ये जो महत्वपूर्ण सवाल है, माननीय सदस्य ललित यादव जी पूछने का भी तो काम करें महोदय।

(व्यवधान)

अध्यक्ष: अब सदन की कार्यवाही 2.00 बजे दिन तक के लिए स्थगित की जाती है।

टर्न-2/मधुप/26.07.2018

(अन्तराल के बाद)

(इस अवसर पर माननीय अध्यक्ष महोदय ने आसन ग्रहण किया ।)

अध्यक्ष : अब सभा की कार्यवाही प्रारम्भ की जाती है ।

श्री अरूण कुमार : अध्यक्ष महोदय, मेरी बात सुन ली जाय ।

अध्यक्ष : ठीक है । रिपोर्ट ले हो जाने दीजिये, उसके बाद आपकी बात सुन लेंगे ।

सभा मेज पर कागजात का रखा जाना

अध्यक्ष : प्रभारी मंत्री, वित्त विभाग ।

श्री श्रवण कुमार, मंत्री : अध्यक्ष महोदय, मैं बिहार राजकोषीय उत्तरदायित्व एवं बजट प्रबंधन अधिनियम-2006 की धारा-11 के अन्तर्गत वित्तीय वर्ष 2018-19 के बजट प्राक्कलन के संदर्भ में प्रथम तिमाही में प्राप्ति एवं व्यय का रूझान संबंधी परिणाम प्रतिवेदन की प्रति सदन में उपस्थापित करता हूँ ।

अध्यक्ष : प्रभारी मंत्री, वित्त विभाग ।

श्री श्रवण कुमार, मंत्री : अध्यक्ष महोदय, मैं बिहार राजकोषीय उत्तरदायित्व एवं बजट प्रबंधन अधिनियम की धारा-11 के अन्तर्गत वित्तीय वर्ष 2017-18 के बजट प्राक्कलन के संदर्भ में चतुर्थ तिमाही में प्राप्ति एवं व्यय का रूझान संबंधी परिणाम प्रतिवेदन की प्रति सदन में उपस्थापित करता हूँ ।

अध्यक्ष : प्रभारी मंत्री, वित्त विभाग ।

श्री श्रवण कुमार, मंत्री : अध्यक्ष महोदय, मैं बिहार राजकोषीय उत्तरदायित्व एवं बजट प्रबंधन अधिनियम-2006 के अन्तर्गत वित्तीय वर्ष 2017-18 के उपलब्धि प्रतिवेदन की प्रति सदन में उपस्थापित करता हूँ ।

अध्यक्ष : माननीय मंत्री, सहकारिता विभाग ।

श्री श्रवण कुमार, मंत्री : अध्यक्ष महोदय, मैं भारतीय कम्पनी अधिनियम, 1956 की धारा-619 ए (2) के तहत बिहार राज्य भंडार निगम का वर्ष 2008-09, 2009-10 एवं 2010-11 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक-एक प्रति सदन पटल पर रखता हूँ ।

अध्यक्ष : प्रभारी मंत्री, खान एवं भूतत्व विभाग ।

श्री श्रवण कुमार, मंत्री : महोदय, मैं खान एवं खनिज (विकास और विनियमन) अधिनियम, 1957 की धारा-28(3) के तहत ''बिहार जिला खनिज फाउंडेशन नियमावली, 2018'' की प्रति को सदन पटल पर रखता हूँ ।

अध्यक्ष : प्रभारी मंत्री, आपदा प्रबंधन विभाग ।

श्री दिनेश चन्द्र यादव, मंत्री : अध्यक्ष महोदय, मैं आपदा प्रबंधन अधिनियम, 2005 की धारा 70(2) के तहत बिहार राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरण के वर्ष 2016-17 का वार्षिक प्रतिवेदन की प्रति सदन पटल पर रखता हूँ ।

अध्यक्ष : सभा सचिव ।

प्रभारी सचिव : महोदय, बिहार विधान सभा की प्रक्रिया तथा कार्य-संचालन नियमावली के नियम-267 के अन्तर्गत मुझे प्रतिवेदित करना है कि विभिन्न विषयों के संबंध में पटल पर रखे गये विवरण के अनुसार 81 याचिकाएँ प्राप्त हुई हैं ।

अध्यक्ष : माननीय सदस्य श्री अरूण कुमार ।

श्री अरूण कुमार : महोदय, 5 दर्जन पुलिस हमारे घर पर चली गयी और मेरे परिवार को प्रताड़ित किया । आज के अखबार में निकला हुआ है कि वित्त मंत्री, उप मुख्यमंत्री सुशील कुमार मोदी के इशारे पर पुलिस वहाँ गई है ।

अध्यक्ष : पुलिस आपके घर पर गई है ? क्यों गई ?

श्री अरूण कुमार : जी सर । सिर्फ गई ही नहीं है, महिला लोगों को भी प्रताड़ित किया है ।

अध्यक्ष : सदन स्थगित होता है तो आप आइयेगा ।

श्री अरूण कुमार : जी सर ।

श्री ललित कुमार यादव : महोदय, यह बहुत गम्भीर मामला है ।

अध्यक्ष : ठीक है । इसको जरूर देखेंगे ।

माननीय सदस्यगण, अब गैर-सरकारी संकल्प लिये जायेंगे ।

गैर सरकारी संकल्प

अध्यक्ष : श्री महबूब आलम ।

श्री महबूब आलम : महोदय.....

(व्यवधान)

अध्यक्ष : क्या आप नहीं उपस्थापित करियेगा ?

(व्यवधान)

श्री ललित कुमार यादव : महोदय, हमलोगों ने शुरू में भी कार्य स्थगन प्रस्ताव दिया है, हमलोगों ने कहा था, बिहार सरकार के बहुत मंत्री.....

अध्यक्ष : बहुत ?

श्री ललित कुमार यादव : बहुत पोल खुल रहा है । वहाँ मुजफ्फरपुर के स्थानीय विधायक और मंत्री हैं, उनका भी नाम आ रहा है.....

अध्यक्ष : अभी तो आपलोगों का ही वक्त है ।

श्री ललित कुमार यादव : सरकार को उनसे इस्तीफा कराना चाहिये । सदन में मंत्री बैठे हुये हैं, उनका भी नाम आ रहा है ।

(व्यवधान)

श्री तेजस्वी प्रसाद यादव, नेता विरोधी दल : अध्यक्ष महोदय, आज हमें सूचना मिली और हमने मुख्यमंत्री जी का प्रेस रिलीज भी देखा कि सी0बी0आई0 को रिकोमेंड करने को उन्होंने मुख्य सचिव को कहा है लेकिन जो भाषा उन्होंने लिखी है कि विपक्ष ऐसी भूमिका बना रहा था और ऐसा वातावरण बना रहा था जिसकी वजह से उनको सी0बी0आई0 जॉच देने का आदेश देना पड़ रहा है ।

अध्यक्ष : यह तो अच्छी बात न है, आपलोगों की भी मॉग थी ।

श्री तेजस्वी प्रसाद यादव, नेता विरोधी दल : यानी मुख्यमंत्री दिल से नहीं चाहते थे कि सी0बी0आई0 को रिकोमेंड करने का काम करें क्योंकि उनके काफी चहेते लोग इसमें शामिल हैं, मुख्यमंत्री के प्रचार में भी वह बंदा जो है ब्रजेश ठाकुर, वह संचालन कर चुका है, मुख्यमंत्री भी उसके चुनाव में जाकर प्रचार कर चुके हैं, उप मुख्यमंत्री के काफी करीबी माना जाता है और कई-कई मंत्रियों का नाम आ रहा है, बंगाल में जिन्होंने कारनामा किया था, उन मंत्री का भी नाम आ रहा है, कम से कम नैतिकता के आधार पर..... (व्यवधान)

खाली चाचाजी की अंतरात्मा तेजस्वी के लिये जगेगा ? स्पष्टीकरण खाली हम ही से मॉगेंगे ? इतनी बड़ी घटना हो गई, बिहार शर्मशार हो गया और मुख्यमंत्री ने अबतक चुप्पी नहीं तोड़ी है । आखिर क्या कारण है कि मुख्यमंत्री ने चुप्पी नहीं तोड़ने का काम किया है ? इतना बड़ा मामला चल रहा है और मुख्यमंत्री गायब हैं । यह तो कहीं न कहीं से पूरा बिहार शर्मसार हो रहा है और यह साबित हो गया कि यह तो न चाहते हुए भी इन्होंने सी0बी0आई0 को रिकोमेंड किया ।

अध्यक्ष : माननीय नेता विरोधी दल ..

श्री तेजस्वी प्रसाद यादव, नेता विरोधी दल : महोदय, बात खतम हो जाने दीजिये । आज भी तो सिर्फ मुख्य सचिव को उन्होंने निर्देश किया है, अभी ऑफिशियली लीगली बिहार सरकार

ने ट्रांसफर नहीं किया है । हम चाहते हैं कि कबतक ? कितना समय लगेगा कि भारत सरकार को एफ0आई0आर0 या जॉच के लिये सौंपे और भारत सरकार जल्द से जल्द कब यह केस एक्सेप्ट करेगा ताकि बीच का जो ड्यूरेशन है, जो हमलोगों को संदेह है कि इसमें सारे सबूतों को इस दौरान मिटाया जा सकता है, इसलिये हाईकोर्ट की निगरानी में यह जॉच होनी चाहिये ।

अध्यक्ष : जब सरकार ने घोषणा कर दी है कि सी0बी0आई0 को केस दे दिया गया है तो सी0बी0आई0 को जॉच करने दीजिये न ! जितने मंत्री आयेंगे, बाद में होगी बात ।

(इस अवसर पर विपक्ष के माननीय सदस्यगण वेल में आ गये)

(व्यवधान)

श्री श्रवण कुमार, मंत्री : अध्यक्ष महोदय, एक तरफ नेता प्रतिपक्ष अपनी बात रखना चाहते हैं और दूसरे जो माननीय सदस्य हैं विपक्ष के, उनपर दबाव डाला जाता है कि आप सदन में कोई बात नहीं कीजिये तो यह अच्छी परम्परा नहीं है । यह संसदीय लोकतंत्र में खतरा का विषय है, खतरे की घंटी है । जब सरकार ने, माननीय मुख्यमंत्री जी ने सी0बी0आई0 को केस रेफर कर दिया तो अब इसपर बहस की कहॉ जरूरत है ?

मैं आग्रह करना चाहता हूँ सभी माननीय सदस्यों से, चाहे सत्ता पक्ष के हों चाहे विपक्ष के हों चाहे बिहार की जनता से मैं आग्रह करना चाहता हूँ आपके माध्यम से कि जिनके पास कोई साक्ष्य है, साक्ष्य सी0बी0आई0 को उपलब्ध करायें और लगता है कि किसी को बचाया जा रहा है तो साक्ष्य सी0बी0आई0 को उपलब्ध करावें । यहॉ पर कोई बात रखने का मतलब है, कहने का मतलब है कि सच्चाई पर पर्दा डाल रहे हैं। इसलिये उन बातों को सी0बी0आई0 को लिखित तौर पर अगर कहें तो ठीक है, नहीं तो मौखिक तौर पर भी जाकर कहें तो मैं समझता हूँ कि जॉच में जो बचने वाले लोग हैं या जो छूटने वाले लोग हैं उनपर भी कार्रवाई हो सकती है । ज्यादा बेहतर हो कि ये सदन में उठाने के बजाय अब सी0बी0आई0 को इस मामले में कहना चाहिये, न कि राजनीति करने के लिये यहॉ सवाल उठाना चाहिये । अखबार और मीडिया में तो बात आ ही गई है, अब कितना छपवाना चाहते हैं ? अब कितना छपवाकर माइलेज लेना चाहते हैं ? इसलिये इनको सी0बी0आई0 को बताना चाहिये न कि सदन का समय बर्बाद करना चाहिये ।

(व्यवधान)

अध्यक्ष : अब संकल्प होने दीजिये ।

श्री श्रवण कुमार, मंत्री : महोदय, सदन में आज जो विषय है, माननीय सदस्यों का गैर-सरकारी संकल्प है, इतना महत्वपूर्ण है और इतने महत्वपूर्ण सवाल पर भी अगर सदन गम्भीर नहीं है, विपक्ष गम्भीर नहीं है, माननीय सदस्यों का जो सवाल है, उसके बारे में अगर सदन

और विपक्ष गम्भीर नहीं है तो मैं समझता हूँ कि राज्य की जनता के लिये कोई चिन्ता इनको नहीं है ।

टर्न–3/आजाद/26.07.2018

(व्यवधान)

अध्यक्ष : अब गैर–सरकारी संकल्प चलने दीजिए । अभी तो माननीय सदस्यों का संकल्प है न। अभी सवाल–जवाब का कहां समय है ?

श्री तेजस्वी प्रसाद यादव,नेता विरोधी दल : मंत्री जी ने कहा अभी कि साक्ष्य रख दें, सृजन घोटाला के अपने वक्तव्य में श्री सुशील कुमार मोदी के खिलाफ साक्ष्य रखा, उसका क्या हुआ?

अध्यक्ष : चलिए, मा0 सदस्य, महबूब आलम ।

श्री तेजस्वी प्रसाद यादव,नेता विराधी दल : महोदय, उनके खिलाफ हमने साक्ष्य रखा था, उसका क्या हुआ ? क्या हुआ विधान सभा में हमने पटल पर रखवाया था बैंक स्टेटमेंट का, साक्ष्य की बात करते हैं ? जब तक मंत्री इस्तीफा नहीं देंगे, हमलोगों का लड़ाई चलता रहेगा । जो मंत्री इसमें लिप्त हैं, वे इस्तीफा देने का काम करें ।

(व्यवधान)

अध्यक्ष : अब सदन की कार्यवाही, समापन की औपचारिकता के लिए, 3.45 बजे तक स्थगित की जाती है ।

टर्न–4/अंजनी/दि0 26.07.2018

(स्थगन के बाद)

(इस अवसर पर माननीय अध्यक्ष महोदय ने आसन ग्रहण किया)

अध्यक्ष : माननीय सदस्यगण, माननीय मुख्यमंत्री ने सरकार की तरफ से कुछ घोषणा करने की सूचना दी है । मैं माननीय मुख्यमंत्री से अनुरोध करता हूँ कि वे घोषणा करें ।

घोषणा

श्री नीतीश कुमार, मुख्यमंत्री : माननीय अध्यक्ष महोदय, राज्य के शहरी एवं ग्रामीण क्षेत्रों के संतुलित क्षेत्रीय विकास के उद्देश्य से राज्य सरकार द्वारा वर्ष 2011–12 से "मुख्यमंत्री क्षेत्र विकास योजना" के नाम से एक बहुआयामी योजना प्रारंभ की गयी । इस योजना के तहत वित्तीय वर्ष 2011–12 से वित्तीय वर्ष 2012–13 तक माननीय विधान मंडल के सदस्यों की अनुशंसा पर स्थानीय आवश्यकता के अनुरूप योजनाओं के कार्यान्वयन हेतु प्रतिवर्ष प्रति सदस्य एक करोड़ रूपये की दर से आवंटन उपलब्ध कराया जाता था । इस योजना की उपयोगिता, स्थानीय आवश्यकता तथा जनप्रतिनिधियों की मांग पर वित्तीय वर्ष 2013–14 से एक करोड़ रूपये की वित्तीय सीमा को बढ़ाकर प्रतिवर्ष प्रति सदस्य दो करोड़ रूपये कर दी गयी, जिसके अनुसार प्रतिवर्ष माननीय विधान मंडल के सदस्यों की अनुशंसा पर योजनाओं के कार्यान्वयन हेतु 636.00 करोड़ रूपये उपलब्ध कराया जाता रहा है ।

वर्त्तमान में राज्य के शहरी एवं ग्रामीण क्षेत्रों की स्थानीय आवश्यकता एवं जनप्रतिनिधियों की मांग को देखते हुए "मुख्यमंत्री क्षेत्र विकास योजना" के तहत माननीय विधान मंडल के सदस्यों की अनुशंसा पर लोक कल्याणकारी योजनाओं के कार्यान्वयन हेतु प्रतिवर्ष प्रति सदस्य दो करोड़ रूप्ये की राशि को बढ़ाकर तीन करोड़ रूपये किये जाने की घोषणा करता हूँ एवं यह वर्त्तमान वित्तीय वर्ष 2018–19 से ही प्रभावी हो जायेगा । अब इस कार्यक्रम के अंतर्गत माननीय विधान मंडल सदस्यों की अनुशंसित योजनाओं के कार्यान्वयन हेतु प्रत्येक वर्ष 636.00 करोड़ रूपये के स्थान पर 954.00 करोड़ रूपये का व्यय राज्य सरकार द्वारा किया जायेगा ।

समापण भाषण

अध्यक्ष : माननीय सदस्यगण, षोडश बिहार विधान सभा का दशम सत्र दिनांक 20 जुलाई, 2018 से प्रारम्भ होकर आज दिनांक 26 जुलाई, 2018 को समाप्त हो रहा है । इस सत्र में कुल –05 बैठकें हुई ।

सत्र के प्रथम दिन दिनांक 20 जुलाई, 2018 को बिहार विधान सभा में उद्भूत तथा बिहार विधान मंडल के दोनों सदनों द्वारा यथापारित तथा महामहिम राष्ट्रपति द्वारा अनुमोदित 03(तीन) विधेयकों एवं महामहिम राज्यपाल द्वारा अनुमोदित 04(चार)

विधेयकों का एक विवरण सभा सचिव द्वारा सदन पटल पर रखा गया । माननीय मंत्री, वित्त विभाग द्वारा वित्तीय वर्ष 2018-19 के प्रथम अनुपूरक व्यय विवरण को सदन में उपस्थापित किया गया । कुल-08 (आठ) जननायकों के निधन पर शोक-प्रकाश किया गया एवं दिवंगत आत्माओं के प्रति श्रद्धांजलि अर्पित की गयी ।

दिनांक 24 जुलाई, 2018 को माननीय मंत्री, संसदीय कार्य विभाग द्वारा षोडश बिहार विधान सभा के द्वितीय एवं तृतीय सत्र के 230 अनागत तारांकित प्रश्नोत्तर की प्रतियां सदन पटल पर रखी गयी ।

माननीय मंत्री, वित्त विभाग द्वारा भारत के नियंत्रक-महालेखापरीक्षक का 31 मार्च, 2017 को समाप्त हुए वर्ष का सार्वजनिक क्षेत्र उपक्रमों पर प्रतिवेदन, बिहार विधान सभा पटल पर रखा गया ।

माननीय मंत्री, संसदीय कार्य विभाग द्वारा मुजफ्फरपुर बालिका गृह में घटित घटना के संबंध में सरकार की ओर से वक्तव्य दिया गया । साथ ही, महिला कांग्रेस के प्रदर्शन के दौरान घटित घटना के संबंध में भी एक वक्तव्य सरकार की ओर से दिया गया ।

दिनांक 25 जुलाई, 2018 को वित्तीय वर्ष 2018-19 के प्रथम अनुपूरक व्यय विवरणी में सम्मिलित ग्रामीण विकास विभाग के अनुदान की मांग स्वीकृत हुई तथा शेष मांगें गिलोटीन के माध्यम से स्वीकृत हुई । तत्संबंधी विनियोग विधेयक भी स्वीकृत हुआ। इसके अलावा बिहार में सुखाड़ की स्थिति पर सदन में दो घंटे का विमर्श हुआ और शायद आप सदस्यों की गंभीरता और सदन की चिन्ता के मद्देनजर आज प्रकृति भी पसीजती प्रतीत हो रही है ।

दिनांक 26 जुलाई, 2018 को प्रभारी मंत्री,वित्त विभाग द्वारा बिहार राजकोषीय उत्तरदायित्व एवं बजट प्रबंधन अधिनियम, 2006 की धारा-11 के अंतर्गत वित्तीय वर्ष 2018-19 के बजट प्राक्कलन के संदर्भ में प्रथम तिमाही में प्राप्ति एवं व्यय का रूझान संबंधी परिणाम प्रतिवेदन की प्रति एवं वित्तीय वर्ष 2017-18 के बजट प्राक्कलन के संदर्भ में चतुर्थ तिमाही में प्राप्ति एवं व्यय का रूझान संबंधी परिणाम प्रतिवेदन की प्रति तथा बजट प्रबंधन अधिनियम, 2006 के अंतर्गत वित्तीय वर्ष 2017-18 के उपलब्धि प्रतिवेदन की प्रति सदन पटल पर रखी गयी ।

माननीय मंत्री, सहकारिता विभाग द्वारा भारतीय कम्पनी अधिनियम, 1956 की धारा-619 ए (2) के तहत् बिहार राज्य भंडार निगम का वर्ष 2008-09, 2009-10 एवं 2010-11 का वार्षिक प्रतिवेदन की एक-एक प्रति एवं माननीय मंत्री, खान एवं भूतत्व विभाग द्वारा खान एवं खनिज (विकास और विनियमन) अधिनियम, 1957 की धारा-28 के तहत् बिहार जिला खनिज फाउंडेशन नियमावली, 2018 की प्रति सदन पटल पर रखी गयी ।

इस सत्र में निम्न राजकीय विधेयकों को स्वीकृति मिली :-

1) बिहार मद्य निषेध एवं उत्पाद (संशोधन) विधेयक, 2018
2) बिहार तकनीकी कर्मचारी चयन आयोग (संशोधन) विधेयक, 2018
3) बिहार वित्त विधेयक, 2018
4) दहेज प्रतिषेध (बिहार संशोधन) (निरसन) विधेयक, 2018
5) बिहार मत्स्य जलकर प्रबंधन (संशोधन) विधेयक, 2018
6) बिहार विनियोग (संख्या-3) विधेयक, 2018

सत्र के दौरान कुल-746 प्रश्न प्राप्त हुए, जिनमें 557 प्रश्न स्वीकृत हुए। स्वीकृत प्रश्नों में 07 अल्पसूचित, 478 तारांकित एवं 72 प्रश्न अतारांकित थे । सदन में उत्तरित प्रश्नों की संख्या-14, सदन पटल पर रखे गए प्रश्नोत्तर 74, उत्तर संलग्न प्रश्नों की संख्या-02, अपृष्ठ प्रश्नों की संख्या-01 एवं 466 प्रश्न अनागत हुए ।

इस सत्र में कुल-98 ध्यानाकर्षण सूचनाएँ प्राप्त हुई, जिनमें 08 वक्तव्य हेतु स्वीकृत हुए।

इस सत्र में कुल-127 निवेदन प्राप्त हुए, जिसमें 124 स्वीकृत हुए एवं 03 अस्वीकृत हुए। कुल-107 याचिकाएँ प्राप्त हुई, जिनमें 81 स्वीकृत एवं 26 अस्वीकृत हुई ।

इस सत्र में प्रश्नकाल का पटना दूरदर्शन एवं आकाशवाणी द्वारा प्रसारण किया गया तथा सम्पूर्ण कार्यवाही की रिकॉर्डिंग भी करायी गयी । इससे जुड़े कर्मचारी एवं पदाधिकारीगण धन्यवाद के पात्र हैं ।

सत्र के संचालन में सहयोग के लिए माननीय मुख्यमंत्री, माननीय उप मुख्यमंत्री, माननीय मंत्रीगण, नेता, विरोधी दल एवं अन्य दलीय नेताओं के साथ ही पक्ष और प्रतिपक्ष के सभी माननीय सदस्यों का मैं आभारी हूँ । पत्र प्रतिनिधियों, समाचार एजेंसी, प्रिंट मीडिया, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, आकाशवाणी तथा दूरदर्शन ने जनमानस के बीच सदन की कार्यवाही सफलता से ले जाने का काम किया है, मैं उन्हें साधुवाद देता हूँ ।

सभा के कार्य संचालन में सभा सचिवालय के पदाधिकारियों एवं कर्मचारियों तथा बिहार सरकार के पदाधिकारियों/कर्मचारियों सहित पुलिस बल के जवानों ने तत्परता, लगन और निष्ठा से अपने कर्त्तव्यों का निर्वहन किया है, इसके लिए वे धन्यवाद के पात्र हैं ।

अब सभा की बैठक अनिश्चित काल तक के लिए स्थगित की जाती है ।